



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 6-2026]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 10 फरवरी, 2026
(21 माघ, 1947 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	अधिसूचना संख्या सांका०नि० 1/संवि०/अनु० 309/2026, दिनांक 6 फरवरी, 2026— हरियाणा ग्रामीण विकास निदेशालय विभाग (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2026.	39—40
भाग IV	शुद्धि पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं	

भाग—III**हरियाणा सरकार****ग्रामीण विकास विभाग****अधिसूचना**

दिनांक 6 फरवरी, 2026

संख्या सांका०नि० 1/संवि०/अनु० 309/2026.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा ग्रामीण विकास निदेशालय विभाग (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा ग्रामीण विकास निदेशालय विभाग (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2026 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा ग्रामीण विकास निदेशालय विभाग (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, परिशिष्ट ख में,—
 - (i) क्रम संख्या 11 के सामने, खाना 4 के नीचे, “स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा” शीर्ष के अधीन विद्यमान मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
 - (i) “स्नातक/10+2 या इसके समकक्ष”;
 - (ii) क्रम संख्या 12 के सामने,—
 - (क) खाना 3 के नीचे, विद्यमान मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
 - (i) “10+2 या इसके समकक्ष”;
 - (ख) खाना 4 के नीचे, “स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा” शीर्ष के अधीन विद्यमान मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
 - (i) “10+2 या इसके समकक्ष”;
 - (iii) क्रम संख्या 13 के सामने, खाना 4 के नीचे, “स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा” शीर्ष के अधीन विद्यमान मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
 - (i) “स्नातक/10+2 या इसके समकक्ष”;
 - (iv) क्रम संख्या 16 के सामने,—
 - (क) खाना 3 के नीचे, विद्यमान मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
 - (i) “10+2 या इसके समकक्ष”;
 - (ख) खाना 4 के नीचे, “स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा” शीर्ष के अधीन विद्यमान मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
 - (i) “10+2 या इसके समकक्ष”;
3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में, “मैट्रिक स्तर पर हिन्दी का ज्ञान” शब्द जहां कहीं भी आए, के स्थान पर, “मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

डा० साकेत कुमार,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

Notification

The 6th February, 2026

No. G.S.R. 1/Const./Art. 309/2026.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Directorate of Rural Development (Group C) Service Rules, 1998, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Directorate of Rural Development (Group C) Service (Amendment) Rules, 2026.
2. In the Haryana Directorate of Rural Development (Group C) Service Rules, 1998 (after herein called the said rules), in Appendix B,-
 - (i) against serial.No.11, under column 4, under heading “By transfer or deputation”, for existing item (i) the following item shall be substituted, namely:-
 - (i) “Graduate/‘10+2’ or its equivalent;”
 - (ii) against serial.No.12,-
 - (a) under column 3, for existing item (i) the following item shall be substituted, namely:-
 - (i) “10+2” or its equivalent;”
 - (b) under column 4, for existing item (i) under heading “By transfer or deputation” the following item shall be substituted, namely:-
 - (i) “10+2” or its equivalent;”
 - (iii) against serial.No.13, under column 4, under heading “By transfer or deputation” for existing item (i) the following item shall be substituted, namely:-
 - (i) “Graduate/‘10+2’ or its equivalent;”
 - (iv) against Serial no.16,-
 - (a) under column 3, for existing item (i) the following item shall be substituted, namely:-
 - (i) “10+2” or its equivalent.
 - (b) under column 4, under heading “By transfer or deputation” for existing item (i) the following item shall be substituted, namely:-
 - (i) “10+2” or its equivalent.
3. In the said rules, in Appendix B, for the words “Hindi upto Matric Standard”, wherever occurring, the words, “Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education” shall be substituted.

DR. SAKET KUMAR,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Rural Development Department.